

विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट पर लिखे गये।
वह प्रस्ताव विभाजन प्रस्ताव एक पत्रीय
सुनी गई। पत्रावली वास्तव में निर्णय
दिनांक 24-1-2025 को भेजा है।

उपखण्डाधिकारी
बसेडी (धौलपुर) राज.

24-1-2025 पत्रावली भेजा है। वकील वारी उपर
वकील वारी की एक पत्रीय वह
पत्र सुनी गई। वकील वारी ने
विभाजन प्रस्ताव के अनुसार कारतल
डिडी लिखे जाने का विवेक किया।
हमने पत्रावली व विभाजन प्रस्ताव,
पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट का
अवलोकन किया। मेरी राय में
प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार
कारतल डिडी लिखे जाना उचित है।

अतः वकील वारी का वह
पत्र स्वीकार किया जाता है प्राप्त
विभाजन प्रस्ताव के अनुसार
अंतिम फैसला किया जाता है
निर्णय प्रथम से लिखवाया जाकर
शामिल पत्रावली किया गया।
पत्रावली फैसला सुनार क्षेत्र-1 एवं
सौ कर क्षेत्र शामिल है।

उपखण्डाधिकारी
बसेडी (धौलपुर) राज.

